न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या **72/2024**
दायर दिनांकः– 18.07.2024
पीठासीन अधिकारीः–विनय पाठक, आर.ए.एस.

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री संजय पोरवाल पुत्र श्री दिलीप कुमार, मैसर्स खुशबु कोल्ड ड्रिंक एण्ड जनरल स्टोर, निम्बाहेडा रोड, छोटीसादडी

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 08/08/2024

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड केक (बटर स्केच फ्लेवर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों [illegible] फार्म नं0 [illegible] पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा [illegible] पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी [illegible], फर्म के सम्बन्ध में [illegible] रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने [illegible] वाणिज्य कर अधिका[illegible] प्रेषित एवं प्राप्त पत्र । विकेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.16 13:03:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.05.2024 को दौराने गश्त 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 खुशबु कोल्ड ड्रिंक एण्ड जनरल स्टोर, निम्बाहेडा रोड, छोटीसादडी पहुंचा। वहां पर केक (बटर स्केच फ्लेवर) 9 फ्रिज में रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम संजय पारेवाल पुत्र दिलीप कुमार बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे केक पर शक होने पर खाद्य सुरक्ष अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया एवं बताया गया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त केक में से 2 केक वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 500 रू देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, गवाह तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए व फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा केक को विक्रेता एवं गवाह के सामने 4 खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतल दिखाकर उक्त केक को प्रत्येक में बराबर–बराबर डाल कर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलिन की डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ के की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2172 नियमानुसार चारो नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए प्रत्येक करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, [illegible]ांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं ने हस्ताक्षर किये ओर च[illegible] नमू[illegible]ागों को अपने जाप्ते में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.16 13:03:46 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां [illegible]र की एवं प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की जिसके द्वारा नमूना सीलबंद किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त [illegible] प्रतापगढ़

बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवा में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया केक का नमूना खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की जॉच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री संजय पोरवाल को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि उसके द्वारा केक निर्मित नहीं किया जाता है। उसके द्वारा उक्त केक निम्बाहेडा के मौसम बहार से क्रय किया गया था जिसका उसके द्वारा उसे बिल नहीं दिया गया। साथ ही प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करने का निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/596 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा केक का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.16 13:03:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त पर 11000/–रू अक्षरे ग्यारह हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **08.08.2024** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

8.8.24
(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2024/437- 439 दिनांक 08.08.2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री संजय पोरवाल पुत्र श्री दिलीप कुमार, मैसर्स खुशबु कोल्ड ड्रिंक एण्ड जनरल स्टोर, निम्बाहेडा रोड, छोटीसादडी

8.8.24
(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.08.16 13:03:46 IST
Reason: SelfAttested